



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06042021-226378  
CG-MH-E-06042021-226378

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 5, 2021/चैत्र 15, 1943

No. 145]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 5, 2021/CHAITRA 15, 1943

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुंबई, 10 मार्च, 2021

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उप धारा (1) के खंड (यू) के अंतर्गत अधिसूचना

अधिसूचना डीओआर. एफआईएन. संख्या 08 /26.03.001/2020-21.—दिनांक 10 मार्च 2021 - वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 7 की उप धारा (1) के साथ धारा 2 की उप धारा (1) के खंड (यू) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक विनिर्दिष्ट करता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियमन, 2012 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत तथा ट्रस्ट के रूप में स्थापित वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ)- श्रेणी I, निम्नलिखित शर्तों के अधीन 'अर्हता प्राप्त क्रेता' होंगे-

- किसी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) में अगर किसी एआईएफ ने निवेश किया है, तो उस एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद में ऐसे एआईएफ द्वारा निवेश नहीं किया जाएगा;
- एआईएफ अपने किसी सहायक अथवा समूह की कंपनी के अंतर्निहित ऋण के आधार पर जारी प्रतिभूति रसीद में निवेश नहीं करेगी;
- अगर किसी एआईएफ की इक्विटी में किसी बैंक की हिस्सेदारी 10% से अधिक हों, तो वह एआईएफ ऐसे बैंक के अनर्जक आस्तियां द्वारा समर्थित प्रतिभूति रसीद में निवेश नहीं करेगा।

सौरभ सिन्हा, कार्यपालक निदेशक  
[विज्ञापन-III/4/असा./570/2020-21]

**RESERVE BANK OF INDIA****NOTIFICATION**

Mumbai, the 10th March, 2021

**NOTIFICATION UNDER CLAUSE (U) OF SUB-SECTION (1) OF SECTION 2 OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002**

**Notification DoR. FIN. No. 08/26.03.001/2020-2021.—dated March 10, 2021-** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 read with clause (u) of sub-section (1) of Section 2 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ( 54 of 2002), the Reserve Bank of India hereby specifies Category I Alternative Investment Funds (AIFs) set up as trust and registered with Securities and Exchange Board of India under Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012, as ‘qualified buyers’, subject to the following conditions:

- a. The AIF which has invested in an asset reconstruction company (ARC) shall not invest in the security receipts issued by that ARC;
- b. The AIF shall not invest in the security receipts issued on the underlying loans of any of its associate or group company;
- c. The AIF shall not invest in the security receipts backed by non-performing assets of banks which hold equity of more than 10% in that AIF.

SAURAV SINHA, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./570/2020-21]